

दण्डात्मक सम्बन्धी प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद आगरा में बॉईपुर/बाबरपुर/मऊ वन ब्लॉक में गंगा जल परियोजना इकाई, उ०प्र० जल निगम, आगरा द्वारा प्रस्तावित गंगा जल परियोजना से सम्बन्धित पाइप लाइन बिछाने हेतु पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पूर्व में निर्गत स्वीकृति के उल्लंघन के फलस्वरूप वन विभाग द्वारा अथवा उच्च स्तर से जो भी शर्त लगायी जायेंगी उसका पालन उत्तर प्रदेश जल निगम, आगरा द्वारा किया जायेगा साथ ही इस सम्बन्ध में जो भी धनराशि की मांग की जायेगी, उसका भुगतान उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा किया जायेगा।

15.3.18
(आर० के० पकज)
परियोजना प्रबन्धक
गंगा जल परियोजना इकाई,
उ०प्र० जल निगम, आगरा

प्रति हस्ताक्षरित

मनीष मित्तल)
भागीय निदेशक 15/3/18
आजिक वानिकी प्रभाग
आगरा